बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास

*168. **श्री जनार्दन यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बौंसी मंदार, विक्रमशिला, सुल्तानगंज, देवघर (बैजनाथ धाम) तथा बासुकीनाथ को इन स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने हेतु उन्हें जोड़ने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या पर्यटन विभाग ऐतिहासिक महत्व के इन स्थानों का विकास कर देश की सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत का प्रचार तथा प्रसार करने में योगदान देने का विचार रखता है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद : (क) से (घ) पर्यटन का विकास करना मुख्यता राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जिसमें पर्यटक स्थलों को जोड़ना शामिल हैं।

बिहार सरकार ने उल्लिखित स्थलों को जोड़ने के लिए कोई स्कीम तैयार नहीं की है ।

पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1992–93 में पांच स्थानों पर जिनमें सुल्तानगंज, देवघर और बोस्कीनाथ शामिल हैं, जन सुविधाओं के निर्माण के लिए 12.86 लाख रुपए की एक स्कीम और वर्ष 1993–94 के दौरान 21.93 लाख रुपए की एक याचिका स्वीकृत की है।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध स्थलों का विकास करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य सरकार से कहा गया है कि वे अपने-अपने राज्य में कम से कम दो स्मारकों का नवीनीकरण करके तथा उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र का भू-दृश्यांकन करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए अभिनिर्धारित करें। बिहार सरकार ने विकास के लिए राजगीर, नालन्दा और विक्रमशिला का सुझाव दिया हैं।

Prior permission for CBI investigation against officers of rank of Jt. Secretary and above

*169. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have enjoined upon the Central Bureau of investigation (CBI) to seek prior permission of Government to investigate complaints against officers of Joint Secretary rank and above; and

(b) if so, the reasons therefor and the legal basis for imposition of this limitation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) Yes, Sir. Under the Cr. P.C. (Sec. 197) as well as the P.C. Act, 1988 (Sec. 19), in order to prosecute an officer who is removable by the Government and who is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duties, the prior sanction of the Government is required. The Central Bureau of Invstigation also legally requires general or specific consent of the Government concerned, under the provisions of SPE Act, 1946, for registration and investigation of a case against a Government servant. In consonance with the above stated legal position the Central Government has issued administrative directions